

26.12.18

प्राथमिक पं. 36, वकील पं. 37, वकील  
पं. 38 का कथन कि ये पं. 37 को ठाणे  
नहीं चलाना चाहते तथा 25/12 पर नोटिस  
जारी करवाया जा रहा है, प्राथमिक वकील का  
निवेदन स्वीकार किया जाकर पं. 37 R 2(क)  
को नोटिस जारी किया जाता है, प्राथमिक  
पं. 37 का नंबर से कम है वही  
दफ्तर है।